न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 549 सन 2018

अनवान :–

1. शिवदत पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. विनोद कुमार पुत्र गुरदयाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. गुरदयाल पुत्र लेखु जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. शंकरलाल पुत्र गुरदयाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. किताबी 4 सुन्दर पुत्रिया गुरदयाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

5 जसवीर 6 प्रियंका पुत्रिया विनोद कुमार जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर

7. राजीव पुत्र विनोद कुमार जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर

8 कमला पत्नि विनोद कुमार जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

असल प्रतिवादीगण

10. बंशीलाल पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 31.12.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 25/26 की कुल 10.879हैक जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। जो पूर्व में वादी के दादा लेखु के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है इसलिये वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है एवं काफी वृद्व हो चुका है ने एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने भाई एवं भतीजों के पक्ष में अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,7 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 8,10 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा गुरदयाल के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8,10 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 6 , जो वादी की पिता/बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,7,8,10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8,10 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 6 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 7 ता 8, 10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8,10 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ता ,6 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 25/26 के प0न0 334/386(51) के किला न0 1 ,10 ,11 ,20 कुल 1.0120हैक प0न0 333/386(52) किला न0 3 ता 8 ,13 ता 18 ,23 ता 25 कुल किता की 3.795 हैक प0न0 332/386(53) किला न0 15 ,16 ,25 कुल 0.64515हैक प0न0 332/387(60) के किला न0 4 ता 7 ,14 ,15 कुल 1.35355हैक प0न0 333/387(61) के किला न0 1 ता 5 ,8 ता 13 ,18 ,19 ,22, 23 कुल 3.6432हैक मु0न0 73/31 किला न0 0/2 की 0.2024हैक गै0मु0 खाला मु0न0 76/14 किला न0 0 की 0.2277हैक गै0मु0 रास्ता कुल 10.879हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 10 की एवं रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 25/26 के प0न0 332/386(53)के किला न0 15 ,16 ,25 की की 0.64515हैक , प0न0 333/387(61) के किला न0 1 ता 5 ,8 ता 10 ,12 ,13 ,18 ,19 ,22 ,23 कुल 3.3902 हैक प0न0 334/386(51) के किला न0 1/0.253 ,10 की मिन उत्तर 0.1771हैक कुल 4.46545हैक व मु0न0 73/31 किला न0 0/2 की मिन 0.1518हैक गै0मु0खाला मु0न0 76/14 किला न0 0 की मिन 0.11385हैक गै0मु0 रास्ता भूमि बहिब खातेदार काश्तकार वादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 7 ,8 को रोही मोजा 9 केएनएन के खाता संख्या 25/26 के प0न0 332/387(60) किला न0 4 ता 7 ,14 ,15कुल 1.35335हैक व प0न0 333/387 (61) किला न0 11/0.253 , व प0न0 333/386(52) के किला न0 3 ता 8 ,13 ता 18 ,23 ता 25 कुल 3.795हैक व प0न0 334/386(51) के किला न0 10 की मिन दक्षिण 0.0759हैक 11 व 20 प्रत्येक 0.253हैक कुल 5.98345हैक भूमि व मु0न0 73/31 किला न0 0/2 की मिन 0.0506हैक गै0मु0 खाला मु0न0 76/14 किला न0 0 की मिन 0.11385हैक गै0मु0रास्ता का बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31.12.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

SAZaidi
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official